

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 10 जुलाई, 2017 (आषाढ 19, 1939)

भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन.

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के सिलसिले में आगामी सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 2017 को मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 (एम-02, भूतल) में बनाये गये मतदान केन्द्र पर पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक मतदान होगा. मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यगण उक्त निर्वाचन हेतु निर्वाचक मण्डल के सदस्य हैं. निर्वाचक मण्डल के सदस्यों को अपना मत देने में किसी प्रकार की असुविधा न होवे, इस दृष्टि से भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 'निर्वाचकों को मतों की रिकार्डिंग हेतु अनुदेश' जारी किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैं:-

भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में मत डालने के लिए निर्वाचकों के लिए अनुदेश

क. निर्वाचन की पद्धति

1. भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है.
2. इस पद्धति में, प्रत्येक मतदाता का केवल एक मत होगा किन्तु मतदाता निर्वाचन लड़ने वाले उतने अभ्यर्थियों के लिए, जिन्हें वह चाहे, अपने अधिमान (preference) या पसंद (choice) के क्रम में अपना अधिमान प्रदर्शित (indicate) कर सकता है.

ख. मतदान की विधि

3. मतदान केन्द्र में आपको, उस अभ्यर्थी के नाम के सामने, जिसका आप अपने प्रथम अधिमान (preference) के रूप में चुनाव करते हैं, दिये गये स्तंभ 'अधिमान का क्रम' में अंक "1" अंकित करके मतदान करना चाहिए.
4. यह अंक "1" केवल एक अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित किया जाना चाहिए.
5. आपके पास उतने अधिमान (preference) हैं जितने निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं.
6. शेष अभ्यर्थियों के लिए अपने अधिमान(नों) (preference) को, ऐसे अभ्यर्थियों के नामों के सामने दिये गये स्तंभ 'अधिमान का क्रम' में अपने अधिमान के क्रम में पश्चातवर्ती अंक '2' '3' '4' आदि अंकित करके प्रदर्शित करें.
7. यह सुनिश्चित कर लें कि आप किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें और यह भी सुनिश्चित कर लें कि एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने वहीं अंक अंकित न किया जाय.
8. अधिमान (preference) केवल अंकों में अर्थात् 1, 2, 3 आदि से प्रदर्शित (indicate) किये जाएंगे और एक, दो, तीन आदि शब्दों से प्रदर्शित (indicate) नहीं किये जाएंगे.
9. अंक, भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में जैसे 1, 2, 3 आदि या रोमन रूप I, II, III आदि में या किसी भारतीय भाषा में उपयोग में लाये जाने वाले रूप में अंकित किये जा सकेंगे.
10. यह सुनिश्चित कर लें कि आप मतपत्र पर अंक 1, 2, 3 आदि केवल ऐसी विशेष लेखनी (pen) से अंकित करें जो इस प्रयोजन के लिए आपको आधिकारिक तौर पर दी जायेगी. उक्त अंक 1, 2, 3 आदि अंकित करने के लिए किसी अन्य लेखनी (pen) या अपनी स्वयं की लेखनी (pen) आदि का उपयोग न करें क्योंकि यह आपके मतपत्र को अविधिमाम्य (invalid) बना सकता है.
11. मतपत्र पर अपना नाम या कोई भी शब्द न लिखें और अपने हस्ताक्षर (signature) या आद्यक्षर (initials) न करें. अंगूठे की छाप (thumb impression) भी नहीं लगायें. यह आपके मतपत्र को अविधिमाम्य (invalid) बना देंगे.
12. अपने मतपत्र को किसी भी तरीके से विरूपित नहीं करें. कृपया नोट करें कि यदि आपको निर्गत मतपत्र फट जाता है या विरूपित हो जाता है तो आपको नया मतपत्र जारी नहीं किया जायेगा.

13. अपने अधिमान (preference) प्रदर्शित (indicate) करने के लिए “सही का निशान (tick mark)” या “क्रास चिह्न (cross mark)” जैसे “✓” या “X” नहीं लगायें। ऐसे मतपत्र अस्वीकार (reject) कर दिये जाएंगे। अपने अधिमान (preference), ऊपर बताये गए अनुसार, केवल अंक 1, 2, 3, 4 आदि से प्रदर्शित (indicate) करें।
14. अपने मतपत्र को विधिमान्य (valid) बनाने के लिये यह आवश्यक है कि आप अपना प्रथम अधिमान (preference) किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक ‘1’ अंकित करके प्रदर्शित (indicate) करें। अन्य अधिमान (preference) वैकल्पिक हैं अर्थात् आप द्वितीय अधिमान (preference) और पश्चातवर्ती अधिमान (preference) प्रदर्शित (indicate) कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं।
इस तरह, किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक ‘1’ प्रदर्शित (indicate) करना अनिवार्य है और शेष अभ्यर्थी के लिए ‘2’ ‘3’ आदि जैसे अंक चिन्हित करना केवल वैकल्पिक है।

ग. अविधिमान्य मतपत्र (Invalid Ballot Paper)

ऐसा मतपत्र अविधिमान्य (invalid) होगा जिस पर-

- अंक 1 अंकित नहीं है;
- अंक 1 एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित है;
- अंक 1 इस प्रकार अंकित है कि उससे शंका (doubt) पैदा होती हो कि वह किस अभ्यर्थी पर लागू होने के लिए आशयित (intended) है;
- अंक 1 और कुछ अन्य अंक जैसे 2, 3 आदि भी एक ही अभ्यर्थी के लिए अंकित हैं ;
- अधिमान (preference) अंकों के बजाय शब्दों में प्रदर्शित (indicate) है; और
- ऐसा कोई निशान (mark) या लेखन (writing) है जिससे निर्वाचक की पहचान हो सकती हो।

घ. मत की गोपनीयता

यह सुनिश्चित कर लें कि आप अपना मत मतदान कक्ष के भीतर मतपत्र पर अंकित करें और उसकी गोपनीयता बनाये रखें। आपके द्वारा मत की गोपनीयता का कोई उल्लंघन आपके मतपत्र को अविधिमान्य (invalid) बना देगा।

उपर्युक्त के साथ ही माननीय सदस्यों का ध्यान इस सचिवालय के पत्रक भाग-दो, क्रमांक – 64, दिनांक 7 जुलाई, 2017 की ओर आकृष्ट करते हुए पुनः सूचित किया जाता है कि-

मतदान दिवस को माननीय सदस्यगण अपने साथ फोटो परिचय पत्र अवश्य रखें तथा मतदान कार्य से संबद्ध अधिकारियों/सुरक्षा अधिकारियों/सुरक्षा कर्मियों द्वारा चाहे जाने पर उसे दिखाएं।

मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सैल्युलर फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट अथवा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि लेकर मतदान केन्द्र के समीप अथवा मतदान केन्द्र में प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है, अतः माननीय सदस्यगण उक्त सामग्री अपने साथ न लायें एवं मतदान कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

अवधेश प्रताप सिंह
राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2017
के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।